



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1789]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2013/श्रावण 11, 1935

No. 1789]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2013/SHRAVANA 11, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2013

New Delhi, the 2nd August, 2013

का.आ. 2352(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 के उप-खण्ड (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

S.O. 2352(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 7 of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates the Union Minister of Health and Family Welfare as the President of the All India Institute of Medical Sciences, Patna.

[फा. सं. जेड-28016/42/2013-एसएसएच]

[F. No. Z-28016/42/2013-SSII]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.